

## भारत सरकार / Government of India पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय

## Ministry of Environment, Forest & Climate Change

एकीकृत क्षेत्रीय कार्यालय/Integrated Regional Office

पताः द्वितीय तल, झारखण्ड राज्य आवास बोर्ड मुख्यालय, हरमू चौक, रॉची, झारखण्ड - 834002 Add: 2<sup>™</sup> Floor, Headquarter-Jharkhand State Housing Board, Harmu Chowk, Ranchi, Jharkhand - 834002 Tel: 0651-2410002, 2410007; E-mail: ro.ranchi-mef@gov.in



संख्या: FP/JH/TRANS/50112/2020(Pt) / ८० ५

दिनांक: 11/10/20222

सेवा में,

अपर मुख्य सचिव

वन, पर्यावरण, एवं जलवायु परिवर्तन विभाग झारखण्ड सरकार, नेपाल हाउस, राँची - 834002.

विषय:- 132 KV D/C चतरा से हंटरगंज ट्रांसिमशन लाईन निर्माण हेतु चतरा दक्षिणी वन प्रमण्डल अन्तर्गत 29.8774 हे॰ एवं चतरा उत्तरी वन प्रमण्डल अन्तर्गत 23.3355 हे॰ कुल 53.2129 हे॰ वन-भूमि अपयोजन प्रस्ताव के संबंध में।

महाशय,

निर्देशानुसार उपर्युक्त विषयक पत्र संख्या-वन भूमि-23/2022-2690(ई)/व॰प॰ दिनांक 12.09.2022 के सम्बन्ध में अवगत करना है कि उपरोक्त वर्णित परियोजना प्रस्ताव के जाँचोपरान्त यह पाया गया कि प्रस्ताव के ऑनलाइन आवेदन में निम्नलिखित दस्तावेजों/जानकारी को अपलोड कराने की आवश्यकता है:

I. Duly attested Part-II of Chatra South Forest Division of form A.

II. The kml file of total proposed forest land for diversion.

III. The kml of total alignment and alternative routes of transmission line.

- IV. As per DSS analysis, it appears that proposed forest land for diversion has been violated by User Agency. If, yes, then it must be taken into cognizance at the earliest and a complete action taken report against the perpetrators in this regard may be uploaded/submitted to this office along with the explanation why forest department could not assess the violation while processing the application.
- V. Two cost benefit analysis are uploaded which is ambiguous.
- VI. Undertaking in respect of CWLW recommendation by user agency as well as the draft framework for mitigative measures/plans too should be submitted alongside.

अतः अनुरोध है कि उपरोक्त वर्णित दस्तावेज / जानकारी को प्रस्ताव पर अग्रेतर कार्रवाई हेतु ऑनलाइन में अपलोड कराते हुए प्रेषित किया जाए।

आपका विश्वासभाजन

्(शाश शकर) सहायक वन महानिरीक्षक

प्रतिलिपि:-

1. प्रधान मुख्य वन संरक्षक (Hoff), वन, पर्यावरण एवं जलवायु परिवर्तन विभाग, झारखण्ड सरकार, वन भवन, डोरंडा, राँची ।

2. प्रधान मुख्य वन संरक्षक- सह – नोडल पदाधिकारी (एफ. सी.), वन, पर्यावरण एवं जलवायु परिवर्तन विभाग, झारखण्ड सरकार, वन भवन, डोरंडा, राँची ।

सहायक वन महानिरीक्षक